B-4
L-41
Polity

केन्द्र शासित क्षेत्र

- संविधान के 8वें भाग में
  - (i) 7वें संविधान संशोधन द्वारा
  - (ii) 1956 में
- • संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक राष्ट्रपति होता है।
  • राष्ट्रपति अपने अन्तर्गत को प्रशासक नियुक्त करेगा।
  (अनुच्छेद-239)
- संसद विधि के द्वारा केन्द्र शासित क्षेत्र में विधानसभा का निर्माण कर सकता है
  (अनुच्छेद 239(A))

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- दिल्ली
  - (i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अनुच्छेद-239AA 69वें संविधान संशोधन) के द्वारा
  - (ii) विधानसभा
  - (iii) मंत्रिपरिषद - मुख्यमंत्री
  - (iv) लोकव्यवस्था, भूमि, पुलिस
    (NCT-Act (1991)

राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र :-

- दिल्ली पुदुचेरी जैसे केन्द्र शासित क्षेत्र में विधानसभाओं का निर्माण किया गया जिससे शासन जनता की इच्छा के अनुसार संचालित हो सके और उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया जा सके।

- किसी केन्द्र शासित क्षेत्र में विधानसभा के निर्माण से वह राज्य नहीं बन सकता क्योंकि राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र के बीच निम्नलिखित अंतर हैं-

(i) भारत के 28 राज्य संघ सरकार के समकक्ष हैं जिन्हें सीधे संविधान से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जबकि केन्द्र शासित क्षेत्र संघ के अधीन हैं जिन्हें शक्तियाँ संसदीय विधि से प्राप्त होती हैं।

(ii) राज्यों की वास्तविक प्रशासनिक शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में होती है जो प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है और महत्वपूर्ण नीतियों का निर्माण करता है जबकि केन्द्र-शासित क्षेत्र का वास्तविक प्रशासन प्रधानमंत्री के हाथों में होता है।

- केन्द्र और राज्य के बीच 7वीं अनुसूची के द्वारा शक्तियों का विभाजन होता है। जबकि संघ और केन्द्र शासित क्षेत्र के बीच शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Platform KHAN SIR

बल्कि केन्द्र शासित क्षेत्र की शक्तियाँ संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है।

- राज्य के किसी भी शक्ति की कटौती के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है जिसके लिए आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक है जबकि केन्द्र शासित क्षेत्र की शक्ति में कटौती हेतु संसदीय विधि पर्याप्त है।

संघ सरकार और दिल्ली के बीच विवाद :-

- संघीय व्यवस्था में संघ एवं राज्यों के बीच विवाद अथवा विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले विवाद स्वभाविक हैं जिनके समाधान की एकमात्र शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है (अनुच्छेद 131)
- संघ सरकार और दिल्ली के बीच का विवाद अप्रत्याशित है क्योंकि केन्द्रशासित क्षेत्र होने के कारण यह संघ के अधीन है
- संघ सरकार और दिल्ली के बीच का वर्तमान विवाद दिल्ली सरकार के अधिकारियों का स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित है क्योंकि फिलहाल दिल्ली सरकार के अधिकारियों का ट्रांसफर और नियुक्ति संघ सरकार के द्वारा किया जा रहा है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

- दिल्ली सरकार का तर्क है कि उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार सिविल सेवक मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए और यदि मंत्रियों को अधिकारियों के स्थानांतरण की शक्ति प्राप्त नही होगी तो उत्तरदायित्व का मूल सिद्धांत ही प्रभावित होगा।

- शक्ति विभाजन के सिद्धांत के अनुसार भी इस विषय पर दिल्ली विधानसभा को विधि के निर्माण का अधिकार दिया गया है उन विषयों के प्रशासन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण का अधिकार भी होना चाहिए।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES

निष्कर्ष :-

→ दिल्ली को राज्य का दर्जा देना संभव नही है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है लेकिन निर्वाचित सरकार को प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण देना चाहिए क्योंकि संघ और राज्य के बीच सहयोग के द्वारा ही जनता का विकास और सुशासन संभव है।

राजकोषीय संघवाद

वित्त आयोग

- अनुच्छेद 280 के अनुसार, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा
- एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे।

संसदीय नियम (1951)

- अध्यक्ष सामान्य विषयों का जानकार होगा
- अर्थशास्त्री
- संघ सरकार के लेखाओं एवं वित्त का विशेषज्ञ
- संघ सरकार के प्रशासन से संबंधित
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उसकी अर्हता का व्यक्ति

कार्य (अनुच्छेद 280)

- संघ एवं राज्यों के बीच केन्द्रीय करों का विभाजन
- संघ सरकार के द्वारा राज्यों को दिये गये अनुदान के सिद्धांत का निर्धारण
- भारत के सुदृढ़ हित में वित्त आयोग राष्ट्रपति से परामर्श लेगा
- वित्त आयोग राज्य संचित निधि को सुदृढ़ करने का सुझाव देगा जिससे राज्य पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को वित्तीय सहायता दे सके।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- **वित्त आयोग की उपयोगिता :-**

- भारतीय संघीय व्यवस्था में संघीय विवाद को हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है लेकिन निम्नलिखित विवाद संघीय होने के बावजूद उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता के दायरे में नहीं आते-

(i) वित्त आयोग को सौंपे गए मामले।

(ii) अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद।

(iii) 1950 के पहले संघ एवं राज्यों के बीच किये गए सान्धे और समझौते।

(iv) संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय लेनदेन अथवा वित्तीय समायोजन का मुद्दा।

- वित्त आयोग केन्द्रीय करों को विभाजित करने के लिए गठित किया गया है।
- यद्यपि संघीय व्यवस्था में संघ सरकार को संघ सूची के विषयों पर कर आरोपित करने वसूलने और उसके उपयोग की शक्ति है। जबकि राज्य सूची के विषय पर कर आरोपित करने उगाहने एवं उसके उपयोग करने की शक्ति राज्यों के पास है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

संघ सूची	राज्य सूची
(i) कार्पोरेट टैक्स	(i) शराब
(ii) आय कर	(ii) पथ कर
(iii) कस्टम	(iii) पेट्रोलियम
	(iv) भूमि

KGS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR IAS